हिमाचल निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला–171002 , Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177- 0152,2620159,2620154, Fax. 2620152

e-mail. secysechp@gmail.com secysec-hp@nic.in

प्रैस नोट

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने जिला लाहौल स्पिति व चम्बा जिला से सम्बन्धित निम्नलिखित क्षेत्रों की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं व जिला मण्डी, ऊना व कांगडा के निम्नलिखित शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन करवाने हेतू निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है :-

क्रम संख्या	जिला	उप मंडल	पदाधिकारी
1	लाहौल व स्पिति	उदयपुर व केलांग	तीनों स्तरों (ग्राम पंचायतें/पंचायत समिति/जिला परिषद) की पंचायती राज संस्थायें
2	यथोपरि	काजा	केवल जिला परिषद सदस्य (क्योंकि ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति काजा का निर्वाचन नवम्बर, 2015 में सम्पन हो चुका है)
3	चंबा	पांगी	ग्राम पंचायतें व पंचायत समिति संदस्य (क्योंकि जिला परिषद का निर्वाचन नवम्बर, 2015 में सम्पन हो चुका है)
4.	मण्डी	मण्डी	नगर परिषद नेर चौक के वार्ड संख्या 2 से 11 तथा नगर पंचायत करसोग के वार्ड संख्या 2,6 व 7 कुल 13 वार्ड
5.	ऊना	अम्ब	नगर पंचायत दौलतपूर के समस्त 7 वार्ड।
6.	कांगडा	कांगडा	नगर परिषद कांगडा का वार्ड संख्या 3 व नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के वार्ड संख्या 4 व 11, कुल 3 वार्ड

इसके अतिरिक्त आयोग ने यह निर्देश भी दिये है कि पंचायती राज संस्थाओं के गत सामान्य निर्वाचन के उपरान्त रिक्त रहे पदों व अकास्मिक रिक्तियों का उप–निर्वाचन भी इसी कार्यक्रमानुसार करवाया जाएगा ।

1.	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	1, 2 तथा 3 जून 2016 को प्रातः 11 बजे से सायं तीन बजे तक सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान व अधिकारी के समक्ष
2.	नामांकन पत्रों की समीक्षा	4 जून,2016 को प्रातः 10 बजे से
3.	नामांकन पत्रों की वापिसी	6 जून, 2016 को प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक
4.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	6 जून, 2016 को नामांकन पत्र वापिसी के समय की समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
5.	मतदान केंन्द्रो की सुची का प्रकाशन	01 जून, 2016 या इससे पूर्व
6.	यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	**(i)** प्रथम चरण – 17 जून 2016 **(ii)** द्वितीय चरण – 19 जून 2016 (केवल उदयपुर, केलांग तथा पॉगी उप–मण्डल हेतू)
7.	मतों की गणना	1 ग्राम पंचायत के सदस्यों, उप–प्रधान व प्रधान के मतों की गणना मतदान के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मुख्यवास पर की जाएगी

		2. शहरी निकायों के सदस्यों के मतों की गणना मतदान के उपरान्त सम्बन्धित शहरी निकाय के मुख्यवास पर की जाएगी । 3. पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के मतों की गणना 20 जून, 2016 को सम्बन्धित विकास खण्ड के मुख्यवास पर प्रातः 8.30 बजे से की जाएगी ।
8.	मतगणना का परिणाम	1.ग्राम पंचायत के सदस्यों, उप–प्रधान व प्रधान के परिणाम की घोषणा मतगणना की समाप्ति के तत्काल बाद की जाएगी । 2. शहरी निकायों के सदस्यों के परिणाम की घोषणा मतगणना के समाप्ति के ततकाल बाद की जाएगी । 3.पंचायत समिति के सदस्यों के परिणाम की घोषणा मतगणना के उपरान्त विकास खण्ड के मुख्यवास पर की जाएगी । जिला परिषदों के सदस्यों के परिणाम की घोषणा हि0प्र0 पंचायती राज नियम–1994 के नियम 75(vi)के प्रावधान के अनुसार की जाएगी ।

इस सामान्य निर्वाचन के माध्यम से विकास खण्ड पांगी की 16 पंचायतों व विकास खण्ड लाहौल की 28 पंचायतों के पदाधिकारी निर्वाचित होंगे । इसके अतिरिक्त पंचायत समिति पॉगी व लाहौल के 15–15 सदस्यों व जिला परिषद लाहौल स्पिति के 10 सदस्यों का निर्वाचन भी किया जाएगा।

उपरोक्त सामान्य निर्वाचन के अतिरिक्त प्रदेश में 2 जिला परिषद सदस्यों, 5 पंचायत समिति सदस्यों, 8 प्रधान, 5 उप–प्रधान तथा 183 ग्राम पंचायत का सदस्यों व 23 शहरी निकायों के सदस्यों का उप–निवार्चन भी करवाया जाएगा । शहरी निकायों का निर्वाचन EVM के माध्यम से होगा जबकि पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन मतपेटी व मत पत्र के पारम्परिक माध्यम से किया जाएगा ।

(डा0 अश्वनी शर्मा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश

File General election to PRI 2015